शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

OFFICE OF THE U.E.E. MISSION
I Floor, near Estate Branch, Department of Education
Distt. North Lucknow Road, Delhi – 110054
Ph.23810508, 23810647
Email:-spd_delhi@rediffmail.com

क्रम संख्याः–यू.ई.ई.एम. / आई. ई. / 2016–17 / 311 / 1280-1323 दिनांकः– 30.08.2016

सेवा में,

उप–शिक्षा निदेशक / जिला परियोजना अधिकारी
जिला–पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम,
दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य

विषयः– **समावेशी शिक्षा** के अन्तर्गत "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों (CWSN) को "मार्गरक्षी भत्ता" (Escort Facility) की सुविधा देने हेतु।

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि **समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों (CWSN)** को 10 माह (मई 2016 से मार्च 2017 तक) **के लिये "मार्गरक्षी भत्ता" (Escort Facility) की सुविधा देने के लिये निर्धारित** कुल धनराशि 176.35 लाख **(एक करोड़ छिहत्तर लाख पैतीस हजार रूपये मात्र)** खर्च करने की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान कराई गई है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को "मार्गरक्षी भत्ता" (Escort Facility) की सुविधा प्राप्त कराने के लिए निर्धारित कुल धनराशि 176.35 लाख. में से ही जिले स्तर पर 10 माह में खर्च होने वाली धनराशि का जिलेवार विवरण निम्नलिखित है:–

क्र. स.	जिला	U-DISE DATA 2015-16 में दर्शाये गये CWSN की संख्या	PAB 2016-17 मे recommended CWSN की संख्या	रू 250/–प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 10 माह हेतु कुल धनराशि (मई 2016 से मार्च 2017 तक)	खर्च होने वाली कुल धनराशि
1	पूर्व	889	889	2222500	2222500
2	उत्तर–पूर्व	969	969	2422500	2422500
3	उत्तर	253	253	632500	632500
4	उत्तर–पश्चिम	1398	1398	3495000	3495000
5	पश्चिम	1228	1228	3070000	3070000
6	दक्षिण–पश्चिम	814	814	2035000	2035000
7	दक्षिण	1129	1129	2822500	2822500
8	नई दिल्ली	173	173	432500	432500
9	मध्य	201	201	502500	502500
	कुल	7054	**7054**	**17635000**	**17635000**

उक्त दर्शायी गई धनराशि समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त बजट 2016–17 के अनुसार ही खर्च की जायेगी । धनराशि खर्च करने हेतु दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है।

यह पत्र सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

उप–शिक्षा निदेशक 30/08/16
(आई0 ई0 डी0 एस0 एस0 एवं आई0 ई0)

क्रम संख्याः–यू.ई.ई.एम. / आई. ई. / 2016–17 / 311 / 1280–1323 दिनांकः– 30.08.2016

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निदेशक (शिक्षा) ईस्ट नगर निगम दिल्ली प्लाट न0–1824–उद्योग सदन पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली
2. निदेशक (शिक्षा) नार्थ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
3. निदेशक (शिक्षा) साउथ नगर निगम दिल्ली श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर, जे.एल.एन मार्ग नई दिल्ली।
4. निदेशक (शिक्षा) नई दिल्ली नगर निगम, पालिका केन्द्र 7वॉं तल, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली।
6. उप– शिक्षा निदेशक–सेन्ट्रल जोन, शिव मन्दिर मार्ग, जल विहार के पास, नई दिल्ली
7. उप– शिक्षा निदेशक–सिटी जोन, आशिफ अली रोड, मल्टीलेवल कार पार्किंग दिल्ली गेट के पास नई दिल्ली।
8. उप– शिक्षा निदेशक–सिविल लाईन जोन, 16 राजपुरा रोड सिविल लाईन दिल्ली
9. उप– शिक्षा निदेशक–करोल बाग जोन, आनन्द पर्वत खालसा कालेज के पास करोल बाग नई दिल्ली।
10. उप– शिक्षा निदेशक–नजफगढ़ जोन, गोपाल नगर, धान्सा मोड़ नजफगढ़ दिल्ली।
11. उप– शिक्षा निदेशक–नरेला जोन, नरेला पुलिस स्टेशन के पास नरेला दिल्ली
12. उप– शिक्षा निदेशक–रोहिणी जोन, सेक्टर–5 राजीव गाधी कैंसर हॉस्पिटल के पास रोहिणी दिल्ली।
13. उप– शिक्षा निदेशक–एस.पी. जोन, ईद गाह रोड सदर पुलिस स्टेशन के पीछे दिल्ली
14. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा नार्थ जोन, केशव चौक शाहदरा दिल्ली
15. उप– शिक्षा निदेशक–शाहदरा साउथ जोन, कांती नगर दिल्ली–51
16. उप– शिक्षा निदेशक– साउथ जोन, ग्रीन पार्क उपहार सिनेमा के पास नई दिल्ली
17. उप– शिक्षा निदेशक– वेस्ट जोन, कम्यूनिटी हाल, विशाल इन्क्लेव के पास दिल्ली
18. जिला समन्वयक (आई0 डी0 एस0 एस0) जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
19. ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकर्ता, जिला–(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
20. सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, जिला –(पूर्व, उत्तर–पूर्व, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली और मध्य)
21. संयुक्त निदेशक (सूचना तकनीकी), शिक्षा विभाग की वेबसाइड www.edudel.nic.in पर अपलोड हेतु।

प्रतिलिपि आवश्यक सूचनार्थ हेतुः–

1. सचिव (शिक्षा) / अध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
2. निदेशक (शिक्षा) / उपाध्यक्ष यू0 ई0 ई0 मिशन के निजी सचिव।
3. राज्य परियोजना निदेशक के निजी सहायक

30/08/2016
कार्यालय अधीक्षक
(आई0 ई0 डी0 एस0 एस0)

दिशा–निर्देश

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मार्गरक्षी भत्ता का लाभ (Escort Facility) दिलाने के सम्बन्ध में सभी जिलों को भेजे जाने वाला दिशा–निर्देश निम्नलिखित है:–

1. जिला स्तर पर निर्धारित धनराशि के अन्दर ही धनराशि खर्च की जायेगी।
2. "मार्गरक्षी भत्ता से सम्बन्धित निर्धारित धनराशि जिले स्तर से ही स्कूलों के खातों में भेजी जाएगी।
3. DoE, MCD, NDMC, DCB एवं DoE, MCD, NDMC, DCB Aided स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) में से सिर्फ Blindness, Orthopaedic Impairment, Mentally Retarded, Cerebral Palsy, Multiple Disability, Autism Spectum Disorder, Hearing Impaired बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता का लाभ मिलेगा।
4. उक्त दर्शायें गये सभी "विशिष्ट आवश्यकता" वाले बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता का लाभ प्राप्त होगा, इसमें गम्भीर, अतिगम्भीर अक्षमता होने जैसी अनिवार्यता लागू नहीं होगी।
5. स्कूलो के HoS द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को घर से स्कूलों में लाने एवं स्कूलो से घर छोड़ने हेतु मार्गरक्षी (Escort) की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। रू 250/– प्रति माह प्रति बच्चे की दर से मार्गरक्षी (Escort) को देने हेतु धनराशि निर्धारित है।
    - यदि स्कूल में अध्ययनरत सभी लाभार्थी बच्चों के लिए नामित मार्गरक्षी(व्यक्ति विशेष) को मार्गरक्षी भत्ता देने हेतु प्रतिमाह कुल धनराशि 5000/- से कम होने की स्थिति में धनराशि का भुगतान Cash एवं 5000/- या इससे ऊपर की धनराशि का भुगतान Cheque द्वारा कराया जायेगा।
6. DoE, MCD, NDMC,DCB एवं DoE, MCD, NDMC, DCB Aided के स्कूलों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले Blindness, Orthopaedic Impairment, Mentally Retarded, Cerebral Palsy, Multiple Disability, Autism Spectum Disorder, Hearing Impaired बच्चों को ही रू 250/– प्रति माह प्रति बच्चे की दर से 10 माह हेतु मार्गरक्षी भत्ते की धनराशि निर्धारित है। यह धनराशि मई 2016 से मार्च 2017 तक दी जायेगी।
7. लाभार्थी की सूची में वही बच्चे शामिल होगे जो कक्षा I से VIII में पढ़ रहे है। जिला स्तर पर विभिन्न जिलों के स्कूलों में अध्ययनरत उक्त बच्चों की यथास्थिति का निरीक्षण एवं सत्यापन स्कूलों के HoS द्वारा किया जायेगा।
8. स्कूलों में अध्ययनरत कुल विशिष्ट आवश्यकता वाले (B, OI, MR, CP, MD, ASD & HI) बच्चों की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित स्कूलों के खातों में धनराशि निर्गत कर दी जाएगी।
9. लाभार्थी बच्चों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पूर्व शैक्षिक सत्र 2015–16 में अध्ययनरत बच्चों को मार्गरक्षी भत्ता देने में वरीयता दी जायेगी, तत्पश्चात शेष धनराशि होने की स्थिति में नये बच्चों को इसका लाभ प्राप्त कराया जायेगा।
10. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समावेशी शिक्षा हेतु किसी भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (लाभार्थी) को नगद राशि प्राप्त कराने का प्रावधान नहीं है।
11. मार्गरक्षी भत्ता हेतु धनराशि निर्गत करने से पहले जिला परियोजना अधिकारी को लाभार्थी CWSN की सूची निम्नलिखित बिन्दुओं पर तैयार करानी है–

S.No.	District Name	Zone Id	Department	School ID	School Name	School Address	Student ID	Student Name	Gender	DOB	Father's Name	Category	Class	Disability	Residence Address

11. HoS द्वारा प्राप्त कराई गई लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप जिला परियोजना अधिकारी के स्तर पर दिया जायेगा।
12. सभी जिला परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये कि सभी लाभाथियों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाये ताकि माननीय SPD/MHRD अथवा अन्य नामित सक्षम अधिकारी के द्वारा आडिट कराया जा सकें।

30/08/2016

कार्यालय अधीक्षक
(आई0 ई0 डी0 एस0 एस0)

उप–शिक्षा निदेशक
(आई0 ई0 डी0 एस0 एस0 एवं आई0 ई0)